क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी–93/

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **श्री रामेश्वर जाट, एम.एल. संख्या 101/2018, खसरा संख्या 2489 एवं 3868/2489 क्षेत्रफल 1.0003 हेक्टेयर, ग्राम मेवदाकंला द्वारा नायकी एवं मेवदाकंला ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन** क्लस्टर खनन परियोजना **{श्री रामेश्वर जाट एम.एल. संख्या 101/2018 उत्पादन क्षमता 98784 टीपीए** (आर.ओ.एम.), **श्री मुन्नी पुगंव माईन्स एण्ड मिनरल्स एम.एल. संख्या 20/2018 उत्पादन क्षमता–120000 टीपीए, मैसर्स ए.बी. ग्रेनाईट एम.एल. संख्या 37/2018 उत्पादन क्षमता–120000 टीपीए, श्री घनश्याम सैनी एम.एल. संख्या 19/2018 उत्पादन क्षमता–189216 टीपीए, राठौर ब्रदर्स एम.एल. संख्या 21/2018 उत्पादन क्षमता–121800 टीपीए, श्री शंकरलाल एम.एल. संख्या 55/2018 उत्पादन क्षमता–251505 टीपीए, श्री नाथूलाल चौधरी एम.एल. संख्या 12 ए/2013 उत्पादन क्षमता–66557 टीपीए एवं श्री हरिश कुमार होटचंदानी एम.एल.संख्या 30/2018 उत्पादन क्षमता 181440 टीपीए}, कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 13.3158 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–1149302 टीपीए ग्राम नायकी एवं मेवदाकंला तहसील केकडी, जिला–अजमेर** से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहॉ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि **श्री रामेश्वर जाट** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01. 2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–
   1. जिला कलक्टर, अजमेर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
   5. तहसील केकड़ी, जिला–अजमेर।
   6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकडी, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/विकास/2021/3135 दिनांक 12.03.2021 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 'उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 24/04/2021** को **सांयकाल 04.30 बजे, स्थान – राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकड़ी, जिला–अजमेर** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

(दीपक तॅवर)
पर्यावरण अभियंता एवं
क्षैत्रीय अधिकारी